

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...398 व 399/2015जिला..... अजमेर.....

उनवान – मैसर्स यश पेट्रोकेमिकल्स, चौरसियावास रोड, वैशाली नगर, अजमेर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, अजमेर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 26.03.2015 | <p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक 16.03.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें वा.क.अ.,प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत कमशः निर्धारण वर्ष 2013-14, व 2014-15 (अपीलीय आदेश में त्रुटि वश निर्धारण वर्ष 2013-14 अंकित) के लिये पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 27.01.2015 में कायम मांग राशि में से कमशः रु.9,41,385/- व रु.4,00,335/- की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने को विवादित कर, उक्त राशियों पर की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री वी.के.पारीक व विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु दिनांक 25.03.2015 को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्रों पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जब विक्रेता व्यवहारी से माल कय किया गया था, राज्य का पंजीकृत व्यवहारी था एवम् विभाग द्वारा जारी व्यवहारी का पंजीयन प्रमाण पत्र पश्चात्पूर्ती प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में किसी भी क्रेता व्यवहारी को किस प्रकार ज्ञात हो सकता है ? क्रेता व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार सद्भावनापूर्ण किया गया था । कथन किया कि समस्त लेन देन बहियात में दर्ज है। वैट इनवॉयस सही जारी किये गये हैं तथा निर्धारण अधिकारी को नियमित रिटर्न पेश किये गये हैं तथा रिटर्न के अनुसार बनने वाला कर भी जमा करवाया गया है। रिटर्न के अनुसार कोई कर बकाया नहीं है। कथन किया अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कय की गयी खरीद पूर्णतः सही है। विक्रेता के भी विक्रेता अथवा उससे भी और आगे किसी व्यवसायी ने कर जमा करवाया अथवा नहीं, यह मालूम करना अपीलार्थी व्यवहारी के लिए सम्भव नहीं था। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों (2013) 58 वीएसटी 530 (राज.), (2013) 60 वीएसटी 283 (मद्रास), (2011) 45 वीएसटी 195 (पंजाब व हरियाणा), 27 टैक्स अपडेट 109 (आर.टी.बी.) व (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.) को प्रोद्धरित कर, सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने का कथन कर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।</p> | |


26.03.2015

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय आदेश को अधिनियम के प्रावधानानुसार अविधिक होने का कथन किया गया। अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के प्रकाश में, वैट कर जमा कराये जाने का सत्यापन होने की दशा में ही, आगत कर का मुजरा प्रदान किये जाने योग्य है अन्यथा आगत कर के मुजरा प्रदान नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि वैट व्यवस्था में विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा नहीं कराने की दशा में, आगत कर के मुजरे का दावा कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी को मौका दिया गया था कि वह इस संबंध में खरीद के संबंध में कर जमा कराने के सबूत के भार निर्वहन करे। परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने का कोई सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के विशिष्ट प्रावधानों के प्रकाश में, बाध्यकारी है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 18(3)(v) के प्रावधानों के प्रकाश में भी आगत कर का मुजरे का दावा अस्वीकार करने को विधिसम्मत होने का कथन कर, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन करने के पश्चात्, हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को सम्मान व्यक्त कर, यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण में अन्तर्वलित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति, प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांत में निर्वचित विधि के प्रावधानों से भिन्न है क्योंकि इस संबंध में **बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक अधिनियम की धारा 10 के तहत विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने के सबूत का भार का निर्वहन करने में असफल रहें हैं।** पुनः उल्लेखनीय है कि वैट व्यवस्था का मूल आधार ही प्रथम बिन्दु पर वसूल किये गये कर को राजकोष में भुगतान करने के तथ्य का सत्यापन पाये जाने की दशा में ही आगामी बिन्दुओं पर घोषित कर दायित्व के विरुद्ध आगत कर का मुजरा (Input Tax Credit) प्रदान किये जाने योग्य है परन्तु हस्तगत प्रकरण में विक्रय आवली (Series of sales) में विक्रेता व्यवहारी द्वारा वसूल किये गये कर का भुगतान राजकोष में किये जाने का तथ्य सत्यापित होना प्रकट नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 995/2012/जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर निर्णय दिनांक 03.08.2012** में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली योग्य मांग राशि पर रोक लगाने हेतु प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। **अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।**

अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


26.3.2015
(मदन लाल)

सदस्य